आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 110/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सीता पुरा आई. ए., जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स जयपुर डिजायन (प्रोपराईटरशिप फर्म),
2. श्रीमती खुशबू कुमावत,
3. श्रीमती कान्ता खत्री,

पता :– प्लॉट नं. 5, राम विहार योजना, बुद्धसिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :

1. श्री राहुल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री आर. के. भार्गव, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक: 08.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.07.2016 जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्रीमती कांता खत्री के स्वामित्व की संपत्ति बेसमेन्ट फ्लोर प्लाट नम्बर 5, राम विहार योजना, बुद्धसिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1310 वर्गफीट एवं 2. श्रीमती खुशबू खत्री के स्वामित्व की सम्पति बेसमेन्ट फ्लोर प्लाट नम्बर 6, राम विहार योजना, बुद्धसिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1322 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 15,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। कैवियटकर्त्ता को नोटिस जारी किया गया। कैवियटकर्त्ता उपस्थित है। उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

भलीभांति अवलोकन किया गया। केविएटकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण का श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 15,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 15,15,527.19/– रूपये जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक 18.10.2023 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्रीमती कांता खत्री के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति बेसमेन्ट फ्लोर प्लाट नम्बर 5, राम विहार योजना, बुद्धसिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1310 वर्गफीट एवं 2. श्रीमती खुशबू खत्री के स्वामित्व की बंधक सम्पति बेसमेन्ट फ्लोर प्लाट नम्बर 6, राम विहार योजना, बुद्धसिंहपुरा, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 1322 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner